न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाण, तहसील शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्री उदयसिंह पुत्र जालमसिंह जी राजपूत, निवासी–वाण, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 36/2021

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:
1. श्री नटवरलाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाण द्वारा अप्रार्थी श्री उदयसिंह पुत्र जालमसिंह जी राजपूत, निवासी–वाण के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 2042 दिनांक 15.10.1996 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दोरान अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1(एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सरपंच ग्राम पंचायत वाण द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) अन्तर्गत मिसल सं. 64/97–98 दिनांक 03.01.1997 में दर्ज कर पट्टा संख्या 2042 दिनांक 15.1.96. को क्षेत्रफल 7500 वर्गफीट का भूमि का संबंधित नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई हैं। ग्राम पंचायत वाण को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं परन्तु जांच प्रतिवेदन में तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक राजस्व/2020/2090 दिनांक 07.10.2020 के अनुसार अप्रार्थी सं. 02 की भूमि वर्तमान में खसरा नं. 428/2 रकबा 10 बीघा किस्म आबादी में स्थित हैं, परन्तु उक्त भूमि दिनांक 10.08.2001 को आबादी में आवंटित हुई थी। ग्राम पंचायत, वाण ने प्रश्नगत भूमि का आबादी विस्तार हेतु वर्ष 2001 में आवंटित होने से पूर्व ही जब प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज थी उस समय वर्ष 1996 में पट्टा जारी कर दिया था जो कानूनन गलत है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जहां व्यक्ति आबादी भूमि [illegible] पुराने घरो के लिये पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं. [illegible] पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा, परन्तु ग्राम पंचायत, [illegible] आवासीय प्रयोजनार्थ का

......पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रश्नगत पट्टा दिनांक 15.10.1996 को जारी किया हैं, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 जो कि दिनांक 31.12.1996 को लागू हुये है, इस कारण से अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के तहत पट्टा जारी नही किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने निर्मित आवासीय भवन के विनियमितिकरण का प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायत, वाण ने नियमों के विपरित गोचर भूमि में खाली भूखण्ड का नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख जारी किया गया जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत, वाण ने अप्रार्थी संख्या–2 को अनुचित लाभ दिये जाने की नियत से नियमों के विरुद्ध गोचर भूमि में पट्टा विलेख जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाण ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) हेतु नियम 148 के तहत आपत्ति नोटीस पर चस्पानगी के हस्ताक्षर नहीं करवाकर गवाहों के बयान के अभाव में तथा मिसल कार्यवाही पूर्ण नहीं कर पट्टा विलेख जारी किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ.130()पराविं/विधि/प.आ. अभि/ मार्गदर्शन/जयपुर/2017/357 दिनांक 03.5.2017 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि का आवंटन पंचायती राज नियम, 1996 के पश्चात् हुआ है तो भूमि पर बने पुश्तैनी आवासों के पट्टे दिया जाना नियम 157(1) व 157(2) के तहत नियमानुसार अनुमत नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान, जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत वाण ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई त्रृटि नही की है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि आबादी भूमि है एवं उक्त भूमि आबादी के उपयोग में आ रही है। जब पटटा जारी किया उस समय भी एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत पट्टे की भूमि आबादी भूमि के रुप में ही उपयोग में आ रही है। यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के समय भी प्रश्नगत पटटा शुदा भूमि आबादी भूमि है। ऐसी स्थिती में, प्रार्थी का यह कथन किसी भी रूप से विश्वसनीय नही है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि न हो। ग्राम पंचायत, वाण ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे वैध रूप से पट्टा विलेख निष्पादित किया है। ग्राम पंचायत, वाण द्वारा गोचर भूमि मे आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय विलेख जारी नही किया है। ग्राम पंचायत वाण ने उनके कब्जे अधिकार की आबादी भूमि का प्रश्नगत पटटा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में जारी किया है। ग्राम पंचायत वाण ने आबादी भूमि के अनेको पटटे अप्रार्थी संख्या– 2 के पटटे शुदा भूमि के आस पास जारी किये है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किये गये विकय विलेख में वर्णित भूमि आबादी भूमि है जिससे प्रार्थी की यह निगरानी विधि मे परिपोषणीय नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 ने उसके पुराने कब्जे भोगवटे की आबादी भूमि का पटटा बनाने हेतु आवेदन किया था। उक्त भूमि पर पूर्व में अप्रार्थी संख्या– 2 के पुश्तैनी कच्चे आवासीय मकान थे। पुराने कब्जे शुदा भूमि का पटटा बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। ऐसी स्थिती में ग्राम पंचायत वाण ने प्रश्नगत विकय विलेख जारी करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटी नहीं की है। ग्राम पंचायत, वाण ने अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ नही दिया है। प्रश्नगत पटटा जारी हुये 24 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अप्रार्थी संख्या–2 ने प्रश्नगत पटटे शुदा भूमि एवं उस पर निर्मित एक कमरे को उसकी पत्नि सुखकुंवर के हक में पंजीकृत बक्सीसनामें के जरिये वकसीस किया है जिससे प्रश्नगत भूमि का स्वामी अप्रार्थी [illegible] है। प्रश्नगत भूखण्ड़ पर सुखकुंवर ने विद्युत कनेक्शन भी जोधपुर विद्युत [illegible] निगम लिमिटेड से लिया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर तारबन्दी [illegible] कमरे का उपयोग व उपभोग सुखकुंवर द्वारा किया जाता आ रहा है [illegible] भूखण्ड एवं उस पर निर्मित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

......पेज तीन पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कमरा सुखकुंवर के कब्जे आधिपत्य में बतौर स्वामी है। प्रश्नगत भूखण्ड का स्वामी अब अप्रार्थी उदयसिंह नही है एवं न ही उक्त भूमि अब अप्रार्थी उदयसिंह के कब्जे स्वामित्व की है जिससे प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि प्रार्थी ने अब तक यह निगरानी प्रस्तुत नही करने का कोई कारण व आधार नहीं दर्शाया है। प्रार्थी की निगरानी किसी भी रूप से अन्दर म्याद नही है। प्रार्थी को यह भली भाति जानकारी है कि अप्रार्थी उदयसिंह ने प्रश्नगत पट्टेशुदा भूंखण्ड व उस निर्मित कमरे को उसकी पत्नि सुखकुंवर के पक्ष में पंजीकृत बक्शीसनामे से बक्सीश कर दिया है जिससे अप्रार्थी उदयसिंह का प्रश्नगत भूमि पर कोई मालिकाना हक अब नही रहा है। यह कि प्रश्नगत भुखण्ड का पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या–2 के हक में जारी किये जाने के पूर्व से प्रश्नगत भुखण्ड पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुश्तैनी मालकाना कब्जा आधिपत्य रहा है तथा उस पर पुराने कच्चे केलुपोश मकान बने हुये थे जो जर्जर होने से ध्वस्त हो चुके है। प्रश्नगत भूमि पुरानी आबादी भूमि है। यह कि ग्राम पंचायत, वाण के अधिन पहले मौछाल गाव भी था लेकिन वर्तमान में मौछाल गावं ग्राम पंचायत भेव के अन्तर्गत है। प्रश्नगत भुखण्ड का विक्रय विलेख जारी किया गया उस समय श्री नरपतसिंह देवडा निवासी मौछाल ग्राम पंचायत वाण के सरपंच थे तथा मौछाल गावं ग्राम पंचायत वाण के अन्तर्गत गाव था। शिकायतकर्ता नरपतसिंह देवल निवासी वाण ने आपसी राजनैतिक रंजिश के कारण प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध गलत रुप से निगरानी प्रस्तुत करवाई है जो प्रथम दृष्टिया काबिल खारीज के है। उक्त नरपतसिंह देवल ग्राम पंचायत वाण के उप सरपचं पद पर रहे है उस समय सरपचं पद पर सोपुबाई नामक महिला थी जो केवल हस्ताक्षर करना जानती थी। ग्राम पंचायत वाण का कार्य शिकायतकर्ता नरपतसिंह देवल के निर्देशानुसार ही चलता था। विनोदसिंह देवडा पुत्र जब्बरसिहजी देवडा की पटटा संख्या 2043 दिनांक 15.10.1996 की भूमि पर भवन निर्माण की एन ओ सी उक्त नरपतसिंह देवल के उप सरपचं पद के कार्यकाल में जारी की गई थी। ग्राम पंचायत वाण ने अनेको लोगो को 5000 वर्गफीट नाप से अधिक नाप की भूमि के पटटे जारी किये है। गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपुत निवासी मौछाल के हक में सन 1997–98 में 13230 वर्गफीट नाप की भूमि का पटटा में जारी किया गया है। छतरसिंह पुत्र डुंगरसिंह राजपुत निवासी मौछाल के हक में सन 1997–98 में 19035 वर्गफीट नाप की भूमि का पटटा जारी किया गया है। इसी प्रकार सवाईसिंह, श्रवणसिंह पिसरान मोडसिह जाति राजपुत, निवासी मौछाल के हक में सन् 1997–98 में 36890 वर्गफीट नाप की भूमि का पटटा जारी किया गया है मोहब्बतसिह, चन्दनसिंह पिसरान डुगरसिंह निवासी मौछाल के हक में सन 1997–98 में 31640 वर्गफीट नाम की भूमि का पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 5000 वर्गफीट से अधिक नाप की भूमि के पटटो की सूची ग्राम पचायत वाण द्वारा जारी की गई है। उक्त सूची की प्रमाणित प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त सूची के अतिरिक्त भी अनेको पटटे 5000 वर्गफीट नाप से अधिक नाप की भूमि के ग्राम पंचायत वाण द्वारा जारी किये गये है। जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आज तक नही की गई है। यह कि पुराने कब्जे भोगवटे की भूमि के पटटे जारी करने का प्रावधान विधि मे है। गांवो में अधिकाश लोगो के भूमि एवं मकानों के पटटे भूतपूर्व सिरोही रियासत के समय नहीं बने थे। कब्जे भोगवटे के आधार पर ही मालकाना हक अधिकार निहित होते थे। अप्रार्थी संख्या 2 का प्रश्नगत पुश्तैनी भूमि पर ग्राम पंचायत वाण द्वारा विकय विलेख जारी किये जाने [illegible] स्वामी काबिज रहा है एवं उसके कैलु पोश मकानात उक्त भूमि पर ब[illegible] थे। प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत वाण की आबादी भूमि है। प्रश्नगत भूमि के [illegible] जहा रेबारीयो के मकानात बने हुये है। उक्त [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त DNJ 1999 Page 437, DNJ 1999 Page 781 व RLW 2002 Page 2284 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टा जारी हुये 24 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं प्रार्थी ने 24 वर्ष के विलम्ब से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि का कोई कारण भी निगरानी आवेदन में नही दर्शाया है। इस प्रकार, प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी संख्या–2 के अधिकारों की सरंचना को अवरुद्ध करनें में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाण द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (उदयसिंह) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत क्षेत्रफल 7500 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या. 2042 दिनांक 15.10.1996 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, वाण के प्रस्ताव संख्या– 01 दिनांक 13.2.1998 के अनुसरण में जारी किया जाना अंकित किया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम पंचायत, वाण द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि पट्टा जारी करने की तारीख को आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि थी। ऐसी स्थिति में, तत्समय ग्राम पंचायत को प्रश्नगत पट्टे की भूमि का पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही था। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, वाण द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 15.10.1996 को पट्टा जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 जो कि दिनांक 30.12.1996 से लागू हुए है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, वाण द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में दिनांक 15.10.1996 को जारी पट्टा नियम विरुद्ध है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम वाण के खसरा संख्या 428/2 रकबा 10 बीघा भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन दिनांक 10.8.2001 को किया गया है एवं वर्तमान में प्रश्नगत पट्टे की भूमि की किस्म आबादी है। यदि अप्रार्थी संख्या–2 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर पट्टा जारी होने की तारीख अथवा भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन होने की तारीख के बाद से अर्थात् वर्ष 2001 से भी कब्जा मान लिया जाये तो प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना कब्जा साबित होता है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि का अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण हो चुका है तथा प्रश्नगत पट्टे की भूमि का आवासीय उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, वाण को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत परीक्षण कर पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाण द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (श्री उदयसिंह) के

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पक्ष में क्षेत्रफल 7500 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 2042 दिनांक 15.10.1996 को एवं ग्राम पंचायत, वाण के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 13.2.1998 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वाण प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके की जांच करे एवं अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत परीक्षण कर पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested